पत्र सं॰–5/विविध–14–39/2017 ज॰स॰वि॰:–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:– राजेश बाखला,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुद्धेशीय
परियोजना, जमशेदपुर।
सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग।
अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास
कार्यालय, जमशेदपुर।

राँची दिनांक:–

विषय:– राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश/ क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन का शत्प्रतिशत ऑनलाईन निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:– का॰ प्र॰ सु॰ तथा रा॰ वि॰ का पत्रांक–11516 (अनु॰) दिनांक–20.11.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश/ क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन का दिनांक–01.12.17 से हर परिस्थिति में शत्प्रतिशत ऑनलाईन निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त के आलोक में अनुरोध करना है कि उपर्युक्त अवकाश स्वीकर्त्ता पदाधिकारी (Leave Managar) द्वारा निम्न सूचना नोडल पदाधिकारी (HRMS) को अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए विभाग को सूचित करने की कृपया की जाय।

1. अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/कार्यालय का नाम
2. स्वीकर्त्ता पदाधिकारी (Leave Managar) का फोन नम्बर / मोबाईल नम्बर
3. स्वीकर्त्ता पदाधिकारी (Leave Managar) का मेल आई॰डी॰
4. स्वीकर्त्ता पदाधिकारी का G.P.F. नम्बर

अनु॰:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 3189 /राँची, दिनांक:– 12-12-17

प्रतिलिपि:–विभागीय सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।

8.12.17

F:\Dkumar All Sec 2017\Sec 5\U 5 letter To,J.S.,All C.E.,A.D. 08.12.17.docx

पत्रांक–16/प्र०सू०–02–12/2017 का०–.....11516 ...

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेशक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक ...20/11/17...

विषय :— **राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश/क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन का शत्‌प्रतिशत ऑनलाईन निष्पादन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश/क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन ऑनलाईन ही दायर किये जायेंगे तथा स्वीकर्त्ता पदाधिकारी द्वारा इनका निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) भी ऑनलाईन ही किया जायेगा। इसकी व्यवस्था **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली** (HRMS) के अन्तर्गत की गई है और एतद् संबंधी निदेश सभी विभाग/कार्यालयों को पूर्व में ही दी जा चुकी है।

2. राज्य सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में अवकाश संबंधी ऑनलाईन दायर/निष्पादित आवेदनों के निष्पादन से संबंधित समेकित प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय विभागों में अब भी विषयांकित अवकाशों से संबंधित शत्‌प्रतिशत आवेदन ऑनलाईन निष्पादित नहीं हो रहे हैं, जो सरकार के निदेशों की अवहेलना है और सरकार द्वारा अपनाये जा रहे पेपरलेस कार्य संस्कृति की उपेक्षा है।

3. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश/क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन का शत्‌प्रतिशत ऑनलाईन निष्पादन 01 दिसम्बर, 2017 से हर परिस्थिति में सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। यदि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कार्मिक विभाग के उप सचिव श्री चन्द्रभूषण प्रसाद से दूरभाष सं0– **0651–2400844**/ई–मेल आई.डी.– hrms.dopar@gmail.com पर सम्पर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव

अनुलग्नक– यथोक्त।